हमारा प्रयास आपका आवास

**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद**

की ओर से

# अवध विहार योजना

**सेक्टर-4, लखनऊ**

में सामान्य पंजीकरण-2022 के अन्तर्गत
अल्प आय वर्ग के फिनिश्ड भवन एवं
स्व-वित्तपोषित योजनान्तर्गत
मध्यम आय वर्ग के सेमीफिनिश्ड भवनों
को प्राप्त करने का

## सुनहरा अवसर

पंजीकरण
**15.08.2022**
से
**15.10.2022**
तक

आवेदन मात्र
ऑनलाइन
माध्यम से

## ई-पंजीकरण पुस्तिका-2022

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ275330 वेबसाइट : www.up-rera.in

# एक परिचय

## उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से क्रियान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

## उद्देश्य

अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्य कलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल संभरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

त) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना, नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

थ) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यो को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

द) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे–विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था कराता है, जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं। परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के लाटरी द्वारा किया जाना है।

# अवध विहार योजना

## सेक्टर–4, लखनऊ

- रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ275330
- परियोजना प्रारम्भ की तिथि : 15.08.2022
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि : 04.08.2025
- परियोजना में फ्लैट/भवन के आवंटन/कब्जा की प्रस्तावित तिथि : 31.08.2025
- परियोजना हेतु भूमि दर : रू0 33,000.00 प्रति वर्गमीटर

### (अ) सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग फिनिश्ड भवनों का विवरण

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | सम्पत्ति का प्रकार | सम्पत्ति की संख्या | प्लिन्थ एरिया | कारपेट एरिया | मानक भूखण्ड का श्रेत्रफल (वर्गमी0) | अनुमानित मूल्य (₹ लाख) | | पंजीकरण धनराशि (₹ लाख) | | किस्तों पर आवंटन के विकल्प की दशा में पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त 30 दिन में जमा की जाने वाली प्रथम किस्त की अनुमानित धनराशि (₹ लाख) | | ब्याज सहित अवशेष धनराशि समान मासिक किस्तों में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | एकमुश्त भुगतान पर आवंटन के विकल्प की दशा में | किस्तों पर आवंटन के विकल्प की दशा में | सामान्य श्रेणी हेतु | आरक्षित श्रेणी हेतु | सामान्य श्रेणी हेतु | आरक्षित श्रेणी हेतु | |
| 1- | अवध विहार योजना, सेक्टर-04, लखनऊ | अल्प आय वर्ग 36/60 (फिनिश्ड) | 34 | 36.58 | 28.84 | 60.00 | 33.74 | 35.46 | 3.38 | 1.69 | 7.10 | 8.87 | 144 मासिक किस्तों में |
| | | अल्प आय वर्ग 38/63 (फिनिश्ड) | 40 | 37.50 | 30.39 | 62.72 | 35.36 | 37.17 | 3.54 | 1.77 | 7.44 | 9.30 | 144 मासिक किस्तों में |

### (ब) स्व–वित्तपोषित योजनान्तर्गत मध्यम आय वर्ग सेमीफिनिश्ड भवनों का विवरण

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | सम्पत्ति का प्रकार | सम्पत्ति की संख्या | प्लिन्थ एरिया | कारपेट एरिया | मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी0) | अनुमानित मूल्य (₹ लाख) | | पंजीकरण धनराशि (₹ लाख) | | पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त 30 दिन में जमा की जाने वाली प्रथम किस्त की अनुमानित धनराशि (₹ लाख) | | अवशेष धनराशि समान मासिक किस्तों में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | एकमुश्त भुगतान पर आवंटन के विकल्प की दशा में | किस्तों पर आवंटन के विकल्प की दशा में | सामान्य श्रेणी हेतु | आरक्षित श्रेणी हेतु | सामान्य श्रेणी हेतु | आरक्षित श्रेणी हेतु | |
| 1- | अवध विहार योजना, सेक्टर-04, लखनऊ | मध्यम आय वर्ग 80/122 सेमी फिनिश्ड | 28 | 80.00 | 59.98 | 121.89 | 58.85 | 58.85 | 5.89 | 2.94 | 11.77 | 14.72 | 12 त्रैमासिक किस्तों में |

# लोकेशन मैप : अवध विहार योजना, लखनऊ

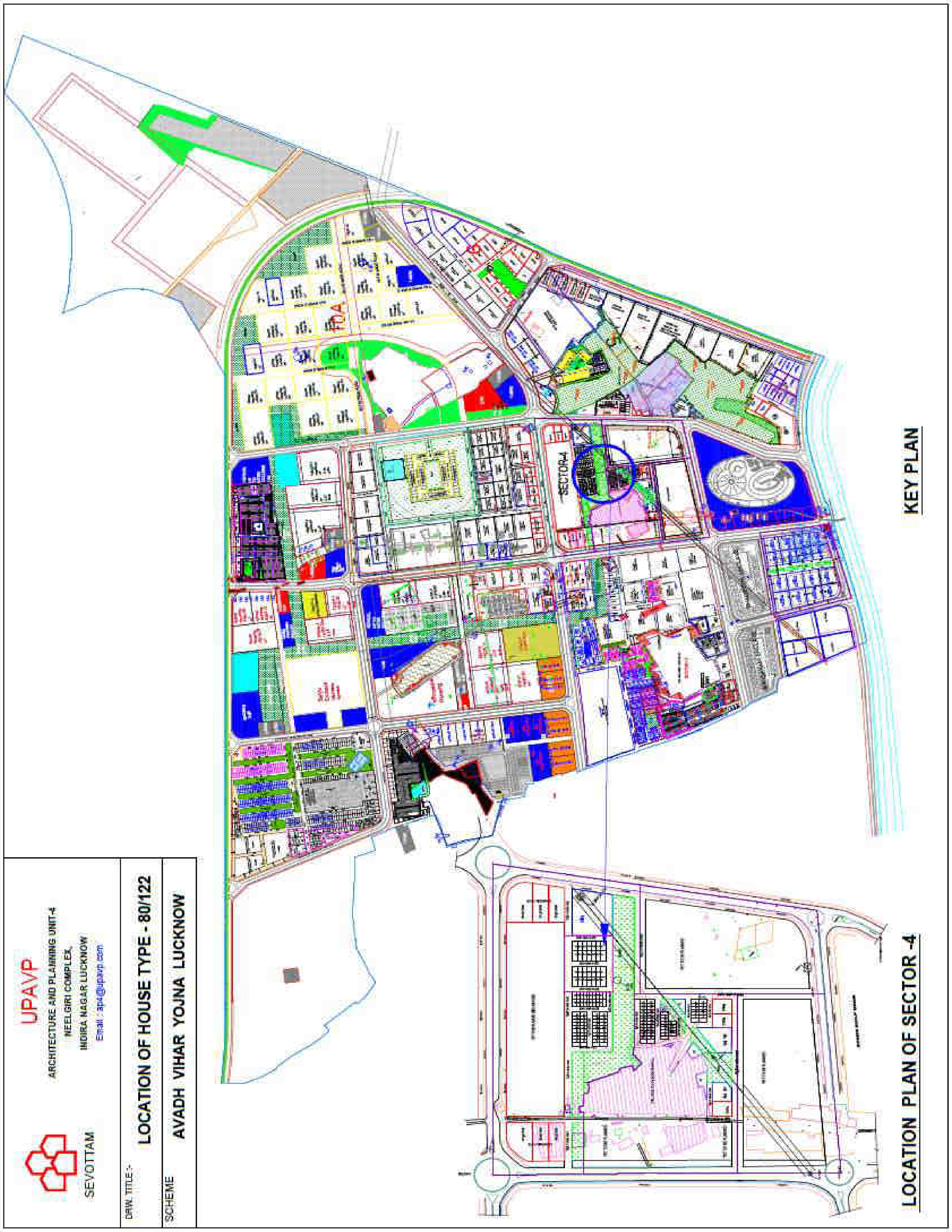

SEVOTTAM

# UPAVP

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-4
NEELGIRI COMPLEX,
INDIRA NAGAR LUCKNOW

DRW TITLE : LOCATION PLAN OF HOUSE TYPE - 38/63
LOCATION PLAN OF HOUSE TYPE - 36/60

SCHEME : AVADH VIHAR YOJNA LUCKNOW

LOCATION PLAN OF SECTOR -4

KEY PLAN

## विशेष आकर्षण

1) जिलाधिकारी कार्यालय/रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन/ जिला अस्पताल से 6-8 कि0मी0 की दूरी पर स्थित।
2) एस0जी0पी0जी0आई0 4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित।
3) अवध शिल्प ग्राम एवं मेदान्ता अस्पताल के समीप।
4) प्रदूषणमुक्त एंव हरियाली युक्त वातावरण की समुचित व्यवस्था।
5) सुगम यातायात की सुविधा हेतु पर्याप्त सड़कों की उपलब्धता।
6) पाइप द्वारा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवर सहित समस्त अवस्थापना सेवायें।
7) योजना में 45.00 मी0, 30.00 मी0, 24.00 मी0, 12.00 मी0 एवं 9.00 मी0 चौड़ी सड़के विकसित/प्राविधानित।
8) लुलू माल/फीनिक्स प्लासियों से मात्र 3-4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित।

UPAVP

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-6

NEELGIRI COMPLEX

INDIRA NAGAR LUCKNOW

SEVOTTAM

| | |
|---|---|
| DRW. TITLE :- | PLAN OF HOUSE TYPE - 80/122 |
| SCHEME | AVADH VIHAR YOJNA LUCKNOW |

GROUND FLOOR PLAN

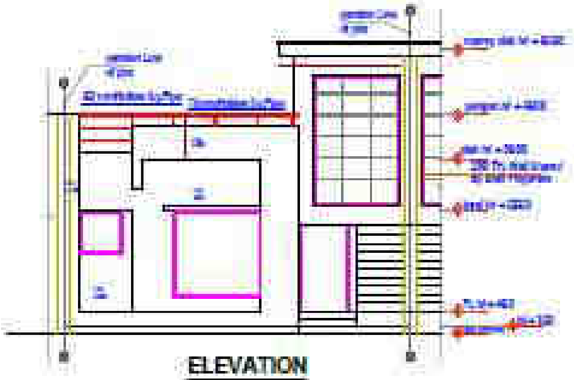

ELEVATION

SEVOTTAM

UPAVP

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-4

NEELGIRI COMPLEX

INDIRA NAGAR LUCKNOW

DRW TITLE :-

**PLAN OF HOUSE TYPE - 36/60**

SCHEME

**AVADH VIHAR YOJNA LUCKNOW**

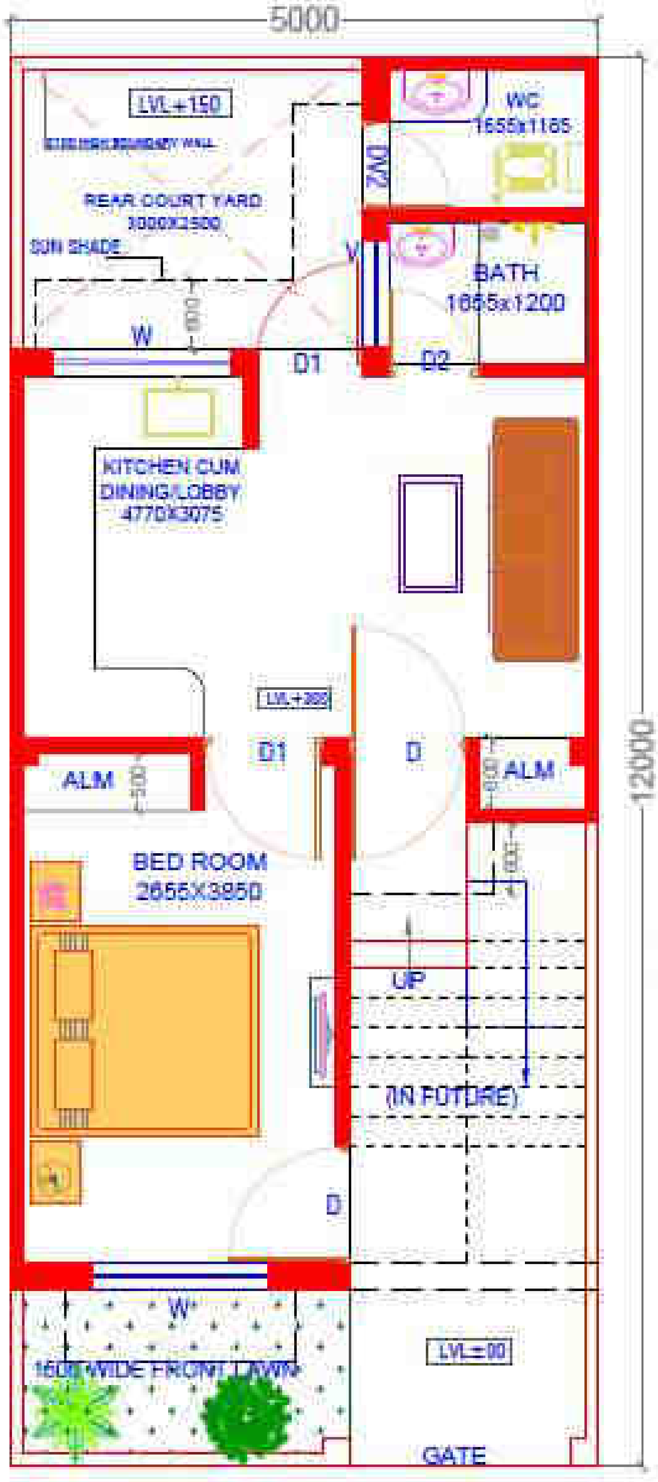


**GROUND FLOOR PLAN**

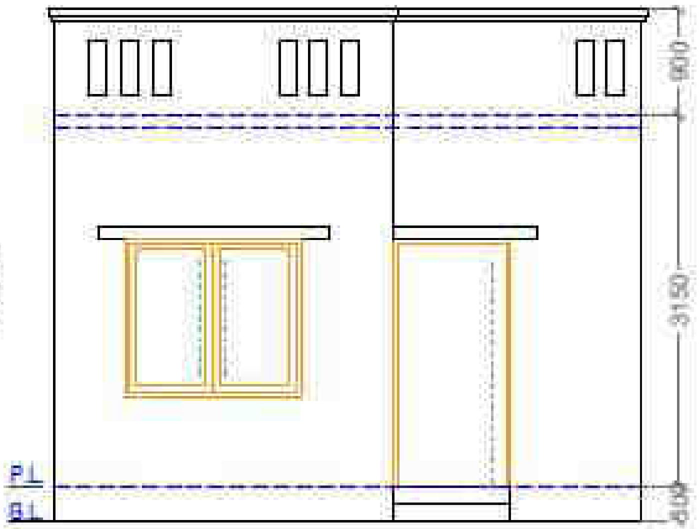


**ELEVATION**

SEVOTTAM

UPAVP

ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-II

NEELGIRI COMPLEX

INDIRA NAGAR LUCKNOW

DRW. TITLE -

**PLAN OF HOUSE TYPE - 38/63**

SCHEME

**AVADH VIHAR YOJNA LUCKNOW**

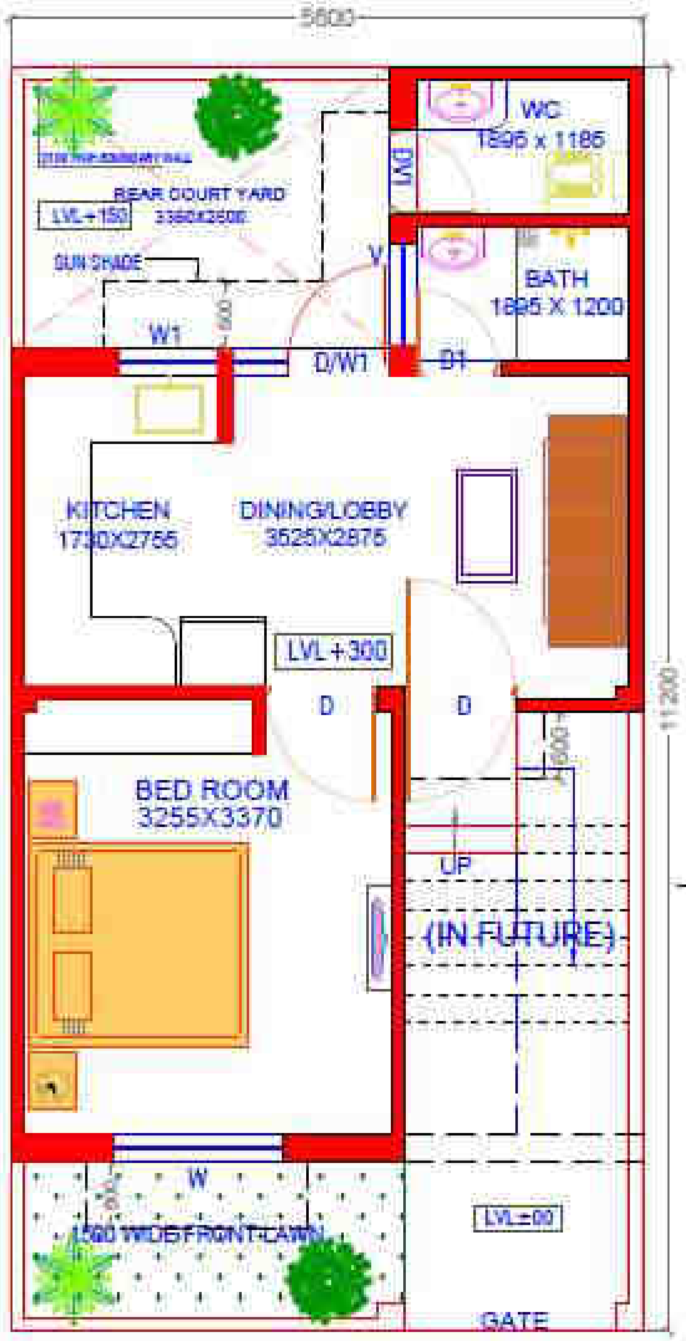


GROUND FLOOR PLAN

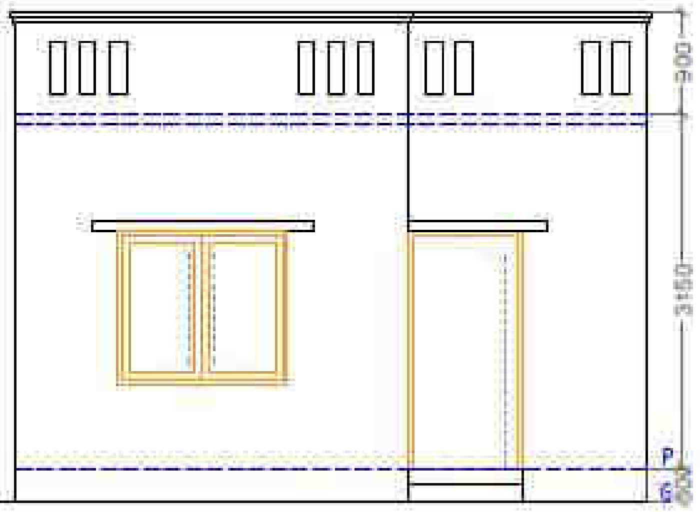


ELEVATION

## अल्प आय वर्ग फिनिश्ड भवनों हेतु विशिष्टियाँ

| | | |
|---|---|---|
| स्ट्रक्चर | : | लोड वियरिंग वाल स्ट्रक्चर |
| फर्श | : | लिविंग, बेडरूम एवं किचन में टाइल्स |
| किचन | : | कुकिंग प्लेटफार्म पर मार्बल तथा स्टेनलेस स्टील सिंक |
| ट्वायलेट | : | फर्श पर एन्टीस्किड टाइल्स एवं दीवारों पर टाइल्स |
| चौखट | : | एम0एस0 आयरन चौखट |
| खिडकियाँ | : | Z-Section Window M.S. ग्रिल ग्लास सहित |
| डोरफिटिंग | : | स्टेनलेस स्टील फिटिंग्स |
| रंग/पेंट | : | अन्दर दीवारों पर डिस्टेम्पर वाल पुट्टी सहित, बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिशिंग पुट्टी सहित |
| जलापूर्ति | : | पी0वी0सी0 टैंक (500 लीटर) |
| विद्युत | : | कापर कन्शील्ड वायरिंग का प्राविधान |

## मध्यम आय वर्ग सेमीफिनिश्ड भवनों हेतु विशिष्टियाँ

| | | |
|---|---|---|
| स्ट्रक्चर | : | लोड वियरिंग वाल स्ट्रक्चर |
| चौखट | : | मलेशिया शाल वुड चौखट |
| दरवाजे | : | बाहरी दरवाजों पर फ्लशडोर शटर |
| खिड़कियाँ | : | सभी खिड़कियों पर शाल वुड चौखट एवं एम0एस0 ग्रिल |
| प्लास्टर | : | अन्दर एवं बाहरी दीवारों पर प्लास्टर |
| रंग/पेंट | : | व्हाइट सीमेंट प्राइमर |
| विद्युत | : | केवल पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाइप का प्राविधान |

# सामान्य नियम

- सामान्य पंजीकरण/स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दोनों श्रेणी के भवनों हेतु एक मुश्त एवं किस्तों में विकल्प, दोनों आवेदन योग्य होंगे। एक मुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- लाटरी ड्रा सर्वप्रथम एक मुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात भवन अवशेष रहते हैं, तो किस्तों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन किया जायेगा।
- सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों में एक मुश्त विकल्प देने पर स्व-वित्तपोषित योजना के प्राविधानों के अनुरूप मांग पत्र/मूल्य निर्धारण किया जायेगा।
- भवनों में पात्रता चयन के पश्चात स्व-वित्तपोषित योजनान्तर्गत भवन के मूल्य में समाहित भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क को जोड़कर कुल मूल्य में से पंजीकरण एवं एकमुश्त जमा धनराशि घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि 3 वर्षो की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र जारी होने के साथ ही प्रभावी होगा तथा सामान्य पंजीकरण के भवनों के मूल्य में समाहित भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क जोड़कर कुल मूल्य का 30 प्रतिशत एक मुश्त धनराशि एक माह तथा अवशेष धनराशि 144 मासिक किस्तों में (9 प्रतिशत ब्याज सहित) प्रदेशन पत्र के अनुसार देय होगा।
- ग्रुप-अ एवं ग्रुप-ब के भवनों का भौतिक कब्जा परिषद द्वारा पात्रता चयन तिथि से 36 माह में प्रदान करेगा।
- तालिका में दर्शायी गयी भवनों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भवन की तालिका में अंकित क्षेत्रफल मानक के अनुरूप हैं। कार्नर के भवन में क्षेत्रफल अधिक हो सकता है। अतः भवन के क्षेत्रफल में वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी।
- परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किस्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए तथा "Force Majure" की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुए विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
- भवनों की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भवन की परिस्थिति में कार्नर/पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट दोनों सुविधाएं अनुमन्य हो रही हैं, तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क देय होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के किसी कर की यदि देयता होती है तो आवंटी को भुगतान करना होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। कोई विवाद मान्य न होगा।
- प्रत्येक आवंटी को वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु रू0 6500.00 अतिरिक्त देय होगा। आवंटन/मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में भवन के मूल्य का 0.25 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क, रू0 300.00 अनुबंध हेतु एवं रू0 100.00 प्रति साइट प्लान हेतु अतिरिक्त देय होगा। नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी।
- भवन का भौतिक कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं अनुबन्ध/विक्रय अभिलेख के निबन्धन के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

# 1- भुगतान का तरीका

1.1 सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों में एकमुश्त विकल्प देने पर स्व-वित्तपोषित योजना के प्राविधानों के अनुसार मांग पत्र/मूल्य निर्धारण किया जायेगा।

1.2 आवंटन पत्र निर्गमन तिथि में प्रथम किस्त की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।

1.3 आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि की अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक किस्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।

1.4 आवंटी यदि किसी भी समय अवशेष किस्तों की निर्धारित संख्या से कम किस्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किस्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किस्त विकल्प पर आवंटी प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा कर सकता है।

1.5 भवनों में पात्रता चयन के पश्चात स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत भवन के भूमि मूल्य में 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क को जोड़कर कुल मूल्य में से पंजीकरण एवं एकमुश्त जमा धनराशि घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि 3 वर्षो की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र जारी होने के साथ ही प्रभावी होगा तथा सामान्य पंजीकरण के भवनों के भूमि मूल्य में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क जोड़कर कुल मूल्य का 30 प्रतिशत एकमुश्त धनराशि एक माह तथा अवशेष धनराशि 144 मासिक किस्तों में (9 प्रतिशत ब्याज सहित) प्रदेशन पत्र के अनुसार देय होगी।

1.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 9 प्रतिशत ब्याज दर से साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

1.7 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS / NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी।

1.8 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

## 2- आवंटन नियम

2.1 आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।

2.2 सामान्य पंजीकरण/स्व-वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दोनों श्रेणी के भवनों हेतु एक मुश्त एवं किस्श्तों में विकल्प, आवेदन योग्य होंगे। एक मुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

2.3 लाटरी ड्रा सर्वप्रथम एक मुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात भवन अवशेष रहते हैं तो किस्तों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन किया जायेगा।

2.4 सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों में एकमुश्त विकल्प देने पर स्व-वित्तपोषित योजना के प्राविधानों के अनुरूप मांग पत्र/मूल्य निर्धारण किया जायेगा।

2.5 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रॉ द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जाएगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में RTGS / NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

2.6 लाटरी ड्रॉ से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लाटरी ड्रॉ हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदानुसार परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रॉ की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2.7 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।

2.8 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रॉ के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

2.9 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

2.10 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथासंभव उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस में प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक / व्यक्तिगत / ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

2.11 आवंटित भवन में उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2018) के अध्याय-3 के प्रस्तर 3.1.1 (क) में वर्णित कार्य जैसे-प्लास्टर, रंगाई-पुताई, फर्शो का निर्माण, दरवाजों-खिड़कियों पर पल्ले, बाउण्ड्री वाल, मेन गेट लगाने का कार्य इत्यादि कार्यो को कराने के लिए भवन निर्माण की अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी।

2.12 आवंटित भवन का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भवन के अनुवर्ती तलों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा हेतु मानचित्र प्रस्ताव वास्तुविद नियोजक के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट www.upobpas.in पर आवेदन उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2018) के प्राविधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

2.13 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।

2.14 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

2.15 आवंटित भवन का परिवर्तन उसी परियोजना में सम्पत्ति रिक्त होने पर परिषद नियमानुसार निर्धारित शुल्क से साथ अनुमन्य किया जा सकेगा।

2.16 सम्पत्तियों के नम्बरिंग ड्रॉ/आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।

2.17 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

## 3- पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 श्रेणी (अ) हेतु आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन) के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.4 सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहॉ आवासीय (एकल भवन) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

3.5 स्व-वित्तपोषित भवनों में आय सीमा प्रतिबन्धित नही है। मात्र सामान्य पंजीकरण हेतु अल्प आय वर्ग भवनों हेतु ₹6.00 लाख की वार्षिक आय सीमा निर्धारित है।

## 4- आवेदन ऑनलाइन किये जायेंगे

4.1 ऑन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक को सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Houses Lucknow" पर क्लिक करना होगा।

4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Houses at Lucknow" पर क्लिक करना होगा।

4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भवन की समस्त जानकारियॉ भली-भॉति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।

4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रॉ की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.6 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत मांग पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। पात्रता चयन की तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

4.7 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तो के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा।

4.8 अनुबंध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबंध की शर्तो के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के RTGS/NEFT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।

4.9 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

4.10 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को भली-भॉति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

4.11 आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकताएं पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

## 5– आरक्षण

| क्र. सं. | श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत | अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति | 21 | उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियॉं ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाये। |
| 2. | अनुसूचित जनजाति | 2 | ---------तदैव-------- |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | ---------तदैव-------- |
| 4. | मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकरी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
| 5. | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | 5 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
| 6. | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 2 | पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। |
| 7. | समाज के दिव्यांग व्यक्ति | 3 | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। |
| 8. | वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर) | 10 | हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। |

**नोट :–** उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेन्टल रुप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

### श्रेणी

5.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण को कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

## 6- असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

6.1 भवनों में लाटरी ड्रॉ के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

## 7- भवन का भौतिक कब्जा

7.1 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 60 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी।

7.2 ग्रुप अ, ब के भवनों का कब्जा परिषद पात्रता चयन तिथि से 36 माह में प्रदान करेगा।

7.3 आवेदक द्वारा आवंटन पत्र के अनुसार भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

7.4 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर, विलम्ब अवधि हेतु, रखरखाव शुल्क नियमानुसार प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त देय होगा।

7.5 आवंटी को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से नियमानुसार जल शुल्क/यूजर चार्ज देय होगा।

7.6 प्राकृतिक आपदा/अपरिहार्य कारणोंवश व्यवधान होने की स्थिति में पूर्णता तिथि रेरा की अनुमति से बढ़ायी जा सकेगी, जो आवंटियों पर प्रभावी होगी।

## 8- तथ्यों को छिपाना

8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## 9- अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

9.1 योजना आवासीय है। अतः भवन का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर विक्रय-विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्ते पूरी करता हो।

9.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

9.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

9.5 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त (म0) में निहित होगा।

# आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश

1- आवेदन पत्र अंग्रेजी में भर सकते हैं।

2- आवेदन पत्र में नाम अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से भरा जाये।

3- अंग्रेजी में सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।

4- आवेदक केवल अंको के अर्न्तराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। जैसेः 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

5- आवेदक को पासपोर्ट साइज का स्व-हस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जायें कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।

6- एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7- नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ा जाये।

8- आवेदन पत्र में अंकित लिंग (SEX) कालम में पुरुष हेतु M महिला हेतु F भरे। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु HW भरें।

9- सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण को भरना होगा।

10- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यार्थ को अनारक्षित की श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

# आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची

## (आरक्षण कोड)

| आरक्षण श्रेणी | कोड संख्या |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | 01 |
| अनुसूचित जनजाति | 02 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 03 |
| अनारक्षित | 04 |
| **हारिजेन्टल आरक्षण कोड** | |
| मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | F |
| सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | G |
| उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी | B |
| समाज के विकलांग व्यक्ति | D |
| वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक | O |
| विस्थापित | W |

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

# ऑनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

| क्रमांक | बैंक का नाम, पता व खाता संख्या | सम्बन्धित अधिकारी | दूरभाष नं0 |
|---|---|---|---|
| 1. | **एच0डी0एफ0सी0 बैंक**<br>भूतल–29/4, पुराना–16<br>राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ | प्रियंका श्रीवास्तव | 8795249771 |

* आवेदन मात्र ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।

# मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये है, जहॉ-जहॉ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होगे :-

**आवेदक का परिवार :-** इसमें स्वयं आवेदक/इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

**आय :-** आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक, उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

**भूखण्ड/भवन : -** भवन का तात्पर्य आवासीय भूमि के भवन से है।

**सम्पत्ति :-** सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भवन से है।

**चरण (पंजीकरण का खुलना) :-** इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमन्त्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

**पंजीकरण का दौर :-** इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

**सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-** उ0प्र0 राज्य की सेवा तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकाय में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों, से है।

**सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-** सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्र्तगत आने वाली जातियों से है।

**नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-** शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

**परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-** परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है, जिनकी न्यूनतम दो वर्ष सेवा पूरी हो।

**परिषद का तात्पर्य :-** उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

**विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-** ऐसे कर्मचारी, जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

**विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य :-** उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

## आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

| आरक्षण श्रेणी | कोड |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | 01 |
| अनुसूचित जनजाति | 02 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 03 |
| अनारक्षित (सामान्य वर्ग) | 04 |
| **हारिजेन्टल आरक्षण कोड** | **कोड** |
| वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | F |
| सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | G |
| उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका | B |
| समाज के दिव्यांग व्यक्ति | D |
| वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन) | O |
| विस्थापित | W |
| **शहर** | **कोड** |
| लखनऊ | L |
| **लिंग** | **कोड** |
| स्त्री | F |
| पुरुष | M |
| अन्य | T |
| संयुक्त आवेदन की दशा में (पति-पत्नी) | HW |
| **भुगतान** | **कोड** |
| एकमुश्त भुगतान | 1 |
| किस्त | 2 |
| **सम्पत्ति का प्रकार** | **कोड** |
| 1. ग्रुप अ-अल्प आय वर्ग (36/60) फिनिश्ड | 3 |
| 2. ग्रुप अ-अल्प आय वर्ग (38/63) फिनिश्ड | 4 |
| 3. ग्रुप ब-अल्प आय वर्ग (80/122) सेमी फिनिश्ड | 5 |

## विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें


**1** **इं0 डी0 के0 श्रीवास्तव**
अधीक्षण अभियन्ता
अवध विहार वृत्त, लखनऊ
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना, लखनऊ।
मो. नं. 8795811578

**2** **इं0 उदयवीर सिंह**
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लखनऊ-06
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना, लखनऊ।
मो. नं. 8795810363

**3** **श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी**
उप आवास आयुक्त
लखनऊ जोन
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना, लखनऊ।
मो. नं. 8795810012

**4** **श्री महबूब खान**
सम्पत्ति प्रबन्धक
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, अवध विहार योजना
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना, लखनऊ।
मो. नं. 8795810954

# नामांकन-सहमति पत्र

आवेदक का एकल फोटो
अथवा संयुक्त रूप से पति पत्नी
आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज फोटो
(हस्ताक्षर इस प्रकार किया जाये
कि आधा फोटो के ऊपर व आधा
फार्म पर हो)

## नामांकन/Nomination

मै ........................................................................... यह घोषणा करता/करती हूँ
कि मेरी मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती ..................................................................
जो रिश्तों में मेरे/मेरी ..........................................................................................
.......................................... है को मै पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

दिनांक ...............................

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान ...............................

पूर्ण पता .............................

..........................................

..........................................

➢ सम्पर्क सूत्रः-


परिषद ई-मेल : info@upavp.com
वेबसाइट : www.upavp.in
टोल फ्री नम्बर : 1800-180-5333
जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं0 : 0522-2236803

# रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित समक्ष

## उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

## शपथ -पत्र

### समक्षः- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मै श्री/श्रीमती/कु0..........................................पुत्र/पुत्री/पत्नी....................................उम्र.....................
निवासी........ ................................................................................... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मै एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये में आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।
4. मैं.......................................................यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती............................................जो रिश्ते में मेरे/मेरी.....................................है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामन्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती ..................................जो मेरे/मेरी...............................................है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी॥ यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।
7. मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिया है तो मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

## घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

## भवनों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000/- (रूपये एक हजार) जी0एस0टी0 सहित ऑनलाइन जमा करना होगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक को सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Houses" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक Lucknow पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियॉं भली-भॉंति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियॉं (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने ऑनलाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीः-
  - ✓ Visit website **www.upavp.in** & click on link **"Online Registration of Houses"**
  - ✓ Click on link **"Registration Fee Payment"** on concerning scheme's webpage.
  - ✓ Select payment category as **'Registration'** and provide Registration ID, then click on **'Submit'** button.
  - ✓ Provide the required necessary details & click **'Submit'**
  - ✓ After clicking on **'Confirm' button '...................... Bank MOPS*'** will be available.
  - ✓ Applicant can choose any one option for making payment.


**IS 15700:2018**

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : www.upavp.com, E-mail : info@upavp.com